R-3452-III/14

शंकर शरण तिवारी तनय स्व0 देवशरण तिवारी उम्र 48 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम मुड्डर तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

------आवेदक

बनाम

1–अवधेश प्रसाद तिवारी तनय स्व0 देवशरण तिवारी उम्र 48 वर्ष पेशा खेती

2– रामस्वरूप तनय रामबदन तिवारी

3– रामप्रकाश तनय रामस्वरूप

4– गुडिया पत्नी ज्ञान प्रकाश

सभी निवासी ग्राम मुड्डर तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

5– शासन म0प्र0

----अनावेदकगण

निगरानी विरूद्व राजस्व निरीक्षक मण्डल महौरी कटरा तह0 अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण क्र0– 4ए/12/12–13 के आदेश दिनांक 30–03–12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू रा सं 1959

श्री विनोद पाण्डेय एड. के द्वारा आज दिनांक 18.9.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवां

क्रमांक 3232
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा
दिनांक ...9-14 को

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– आवेदक द्वारा ग्राम मुड्डर की आराजी 544 रकवा 30 डि0 मे 2/3 भाग के लिये व्यवहार वाद दायर किया था जो व्यवहार वाद 62 ए/ 99 जो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग– 2 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 जिसका निराकरण 26–10–05 को हुआ जिसके विरूद्व अनावेदक क्र0 1 ने अपर जिला न्यायाधीश महोदय, फास्ट टैक कोर्ट अमरपाटन के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

जिला सतना

प्रकरण कमांक निगरानी 3452–तीन/2014

शंकर शरण तिवारी विरूद्ध अवधेश प्रसाद तिवारी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–5–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल महौरी कटरा तहसील अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण कमांक 4/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30–3–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आदेश की सत्यप्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक अवधेश प्रसाद तिवारी द्वारा सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक ने सीमावर्ती कृषक को सूचना देने के उपरांत उनकी उपस्थिति में दिनांक 30–3–12 के द्वारा सीमांकन आदेश पारित किया। प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र एवं स्थल पंचनामा की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक शंकर शरण तिवारी के सूचनापत्र एवं स्थल पंचनामे पर हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सीमांकन की जानकारी थी और उसकी उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है। आवेदक ने राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 30–3–12 के विरूद्ध अपर कलेक्टर को आवेदन किया जबकि उन्हें सुनवाई की अधिकारिता ही नहीं थी। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन दिनांक 5–6–14 को निरस्त किया तत्पश्चात समयबाधित निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 18–9–14 को प्रस्तुत की है। विलम्ब को क्षमा करने का	

प्रकरण कमांक निगरानी 3452—तीन / 2014 जिला सतना

शंकर शरण तिवारी विरूद्ध अवधेश प्रसाद तिवारी आदि

	कोई आवेदन भी नहीं दिया एवं न ही कोई कारण निगरानी आवेदन में दर्शाया है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी समयबाधित होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	